

मध्यप्रदेश दीनदयाल अंत्योदय योजना-राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन
अन्तर्गत जिला/विकासखण्ड स्तर के कर्मियों के पदों की
संविदा भर्ती नियम पुस्तिका

1. पदों की संख्या, आरक्षण तालिका:-

(अ) जिला स्तर

क्र.	पद	पदों की सं.	अनारक्षित	अनारक्षित महिला	अ.पि.वर्ग	अ.पि.वर्ग (महिला)	अ.जा.	अ.जा. (महिला)	अ.ज.जा.	अ.ज.जा. (महिला)
1	सहायक जिला प्रबंधक- वित्त	27	6	5	2	2	2	2	5	3
2	लेखापाल	46	12	9	4	1	7	3	7	3
	कुल	73	18	14	6	3	9	5	12	6

(पदों की संख्या में आवश्यकतानुसार कमी या वृद्धि की जा सकती है।)

2. शैक्षणिक योग्यता एवं अनुभव:-

क्र.	पदनाम	शैक्षणिक योग्यता	अनुभव
1	सहायक जिला प्रबंधक- वित्त	एम.कॉम. डिग्री/एम.बी.ए. वित्त एवं टेली सॉफ्टवेयर का डिप्लोमा	वित्त के क्षेत्र में न्यूनतम 5 वर्ष का कार्यानुभव। शासकीय/अर्द्धशासकीय संस्थाएँ, निगम/मंडल में ही कार्य करने का अनुभव मान्य होगा।
2	लेखापाल	किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान से बी.कॉम /एम. कॉम/एम.बी.ए.वित्त डिग्री एवं मान्यता प्राप्त संस्थान से टेली सॉफ्टवेयर का डिप्लोमा	संबंधित क्षेत्र में 03 वर्ष का कार्यानुभव

आरक्षण:-

- महिला उम्मीदवार उपलब्ध न होने पर उसी प्रवर्ग के पुरुष उम्मीदवारों से पदों को भरा जा सकेगा।
- आरक्षित (अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति) पदों पर वरीयता क्रम का कटऑफ का निर्धारण म.प्र. शासन के नियमानुसार किया जावेगा।
- अभ्यर्थी म.प्र. राज्य परिसीमन से बाहर का है एवं आरक्षित श्रेणी का है ऐसी स्थिति में अभ्यर्थी की आरक्षित श्रेणी यदि म.प्र. के अधिनियम के तहत मान्यता प्राप्त है तो ही उस अभ्यर्थी को आरक्षण का लाभ दिया जावेगा। अन्यथा अभ्यर्थी की उम्मीदवारी को अनारक्षित वर्ग में रखा जावेगा।

3. मानदेय प्रति माह:-

- सहायक जिला प्रबंधक - रु. 23000/-
- लेखापाल - रु. 16000/-

4. न्यूनतम आयु सीमा:-

विज्ञप्ति के सभी पदों हेतु सभी वर्गों के लिये न्यूनतम आयु 21 वर्ष व अधिकतम आयु 55 वर्ष से अधिक न हो। आयु की गणना हेतु संदर्भ तिथि 28 फरवरी 2019 होगी।

5. आवेदन करने हेतु आवश्यक निर्देश:-

- कृपया आवेदन पत्र भरने से पहले सावधानीपूर्वक निर्देशों को अध्ययन करें।
- ऑनलाईन आवेदन पत्र वेबसाइट <http://www.mponline.gov.in> के माध्यम से भरा जा सकता है।
- आवेदन पत्र में दी गयी जानकारी असत्य पाये जाने पर आवेदक की उम्मीदवारी किसी भी स्तर पर निरस्त की जा सकेगी एवं नियमानुसार आवेदक के विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही की जा सकेगी।
- कृपया ऐसे आवेदक आवेदन न करें जो निर्धारित शैक्षणिक योग्यता के अंतिम वर्ष की परीक्षा में सम्मिलित हुए हो लेकिन उनका परीक्षा परिणाम आवेदन करने की तिथि तक घोषित न हुआ हो।
- कृपया ऐसे आवेदक आवेदन न करें जो वांछित अनुभव धारित न करता हो। दस्तावेज सत्यापन के समय यदि वांछित अनुभव से कम पाया जाता है तो उम्मीदवार का चयन किसी भी स्तर पर स्वतः निरस्त माना जावेगा।
- समस्त प्रमाण पत्र जैसे-जाति प्रमाण पत्र, शैक्षणिक प्रमाण पत्र, अनुभव प्रमाण पत्र आदि आवेदन करने की अंतिम तिथि तक जारी किये हुए ही मान्य होंगे।
- यदि आवेदक एक से अधिक पदों पर चयनित होता है तो मध्यप्रदेश दीनदयाल अंत्योदय योजना-राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन द्वारा पदों के अनुरूप वांछित अनुभव के आधार पर एक पद पर चयन किया जावेगा, जिसमें अभ्यर्थी निर्धारित अनुभव धारित रखते हैं तथा शेष पदों की दावेदारी समाप्त मानी जावेगी।

6. पद के लिए निरहर्ता:-

- किसी अभ्यर्थी की ओर से अपनी अभ्यर्थिता के लिए किन्हीं भी साधनों द्वारा समर्थन अभिप्राप्त करने के किसी भी प्रयास को नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा परीक्षा/चयन में उपस्थित होने के लिए निरहित माना जा सकेगा।
- कोई भी अभ्यर्थी किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा जो महिलाओं के विरुद्ध अपराध के लिए दोष सिद्ध ठहराया गया हो: परंतु किसी अभ्यर्थी के विरुद्ध किसी न्यायालय में यदि ऐसे मामले लंबित हैं, तो उसकी नियुक्ति का मामला आपराधिक मामले के अंतिम विनिश्चय अथवा चयन तिथि से 02 माह तक लंबित रखा जायेगा।

- शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ न पाये जाये।
- फर्जी दस्तावेज/दस्तावेज फेरबदल किया हो/चयन के स्तर पर जानकारी छुपाई हो/सारभूत जानकारी छुपाई हो।
- ऐसे अभ्यर्थी जिनकी सेवाएँ मिशन के अंतर्गत समाप्त की गई हैं वे सेवा समाप्ति संबंधी विवरण आवेदन-पत्र में विहित स्थान पर अंकित करेंगे।

7/ दस्तावेजों का परीक्षण

दस्तावेज सत्यापन के समय अभ्यर्थियों के मूल दस्तावेजों का सत्यापन किया जावेगा। सत्यापन करने पर यह पाया जाता है कि आमंत्रित अभ्यर्थी विज्ञप्ति अनुसार अर्हता नहीं रखता है तो उसकी उम्मीदवारी स्वयंमेव समाप्त मानी जावेगी। अंतिम चयनित अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों का संबंधित संस्थाओं से सत्यापन कराया जावेगा यदि दस्तावेजों में असत्यता पाई जाने पर चयनित अभ्यर्थियों का सेवायें समाप्त की जावेगी।

8/ महत्वपूर्ण निर्देश –

- विज्ञापन अनुसार निर्धारित योग्यता की पूर्ति करने वाले इच्छुक अभ्यर्थी अपना आवेदन ऑनलाइन वेबसाइट <http://www.mponline.gov.in> पर जाकर भर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन दिनांक 20.03.2019 से दिनांक 17.04.2019 तक भरे जा सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन पत्र के साथ पासपोर्ट साइज का नवीनतम फोटो, अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता, अनुभव से संबंधित प्रमाण पत्रों एवं जाति प्रमाण-पत्र की स्व-प्रमाणित छायाप्रति स्कैन कर संलग्न करते हुये भरा जावे। वांछित शैक्षणिक योग्यता हेतु भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय अथवा संस्थान से उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। संलग्नीकरण अपूर्ण होने की स्थिति में आवेदन निरस्त माना जावेगा।
- उपरोक्त प्रक्रियानुसार प्रत्येक पद हेतु पृथक-पृथक आवेदन भरा जाना अनिवार्य है।
- अनुभव प्रमाण पत्र मान्य किये जाने हेतु दस्तावेज सत्यापन के समय संबंधित संस्था द्वारा जारी मानदेय पत्रक, टी.डी.एस. कटोत्रा/मानदेय वाउचर की छायाप्रति संबंधित दस्तावेज अथवा मानदेय प्राप्ति के संबंध में न्यूनतम 06 माह का बैंक स्टेटमेंट प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। साथ ही अनुभव प्रमाण-पत्र के साथ किये गये कार्यों की प्रमाणित प्रति भी साथ लाना अनिवार्य होगा।
- समस्त पदों हेतु ऑनलाइन परीक्षा की प्रक्रिया अपनाई जायेगी।
- अंतिम रूप से चयन होने पर आपकी सेवायें 1 वर्ष हेतु संविदा आधार पर अनुबंध पर ली जावेगी। सेवाएं संतोषप्रद होने पर अनुबंध का पुनः एक वर्ष हेतु नवीनीकरण किया जा सकेगा।
- विज्ञापन में प्रकाशित रिक्त पदों की संख्या में वृद्धि/कमी करने का अधिकार मुख्य कार्यपालन अधिकारी, मध्यप्रदेश डे-राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन का होगा।

- किसी भी प्रकार के विवाद की स्थिति में अंतिम निर्णय मुख्य कार्यपालन अधिकारी, मध्यप्रदेश डे-राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन का होगा।
- आवेदन पत्र में सही जानकारी देना अभ्यर्थी/आवेदक की पूर्ण जिम्मेदारी होगी। सभी संबंधित जानकारी समय-समय पर राज्य आजीविका फोरम की वेबसाईट एवं आपके ई-मेल पर ही दी जावेगी।

9/

केन्द्र :-

परीक्षा म.प्र. के 4 जिले क्रमशः भोपाल, इंदौर, जबलपुर एवं ग्वालियर में आयोजित की जावेगी। आयोजित परीक्षा केन्द्र में आवश्यकतानुसार परिवर्तन का अधिकार म.प्र.राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन को होगा।

10/

परीक्षा हेतु किसी भी श्रेणी के अभ्यर्थियों को यात्रा भत्ता की पात्रता नहीं होगी।

11/

यदि किसी व्यक्ति को ऑनलाइन परीक्षा में समतुल्य अंक प्राप्त होते हैं तो निम्न बिन्दुओं को प्राथमिकता का आधार माना जावेगा -

- अधिक आयु वाले उम्मीदवार को प्राथमिकता दी जावेगी।
- जन्म तिथि भी समान होने पर हायर सेकेण्डरी परीक्षा में अधिक अंक प्राप्त करने वाले उम्मीदवार को प्राथमिकता दी जावेगी।
- आयु व हायर सेकेण्डरी के प्राप्तांक भी समान होने की दशा में हाई स्कूल परीक्षा में अधिक अंक प्राप्त करने वाले उम्मीदवार को प्राथमिकता दी जावेगी।

12/

पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की योजनाओं के अन्तर्गत प्रबंधक-वित्त/लेखापाल के पद पर कार्यरत अभ्यर्थी जिसने कम से कम 3 वर्षों तक निरन्तर कार्य किया हो, को कुल प्राप्त अंकों के अतिरिक्त 15 अंक का बोनस दिया जावेगा। उक्त बोनस अंक पूर्णांक की सीमा के अधीन होंगे।

13/

परीक्षा का सिलेबस :-

लेखापाल व सहा. जिला प्रबंधक के पद हेतु विषय से संबंधित परीक्षा में अधिकतम अंक 65 व 10 अंकों का टेली सॉफ्टवेयर विषय तथा शेष 25 प्रश्न Analytical Reasoning Section / Mathematics or Quantitative Section / GA Section / English - Grammar Section - 25 Question = Total 100 Question का है।

14/

न्याय/क्षेत्राधिकार:-

किसी भी विधि संबंधी विवाद की स्थिति में क्षेत्राधिकारी मध्यप्रदेश के उच्च न्यायालय तक ही सीमित होगा।

Sahu